न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 31/2019

वादीः–

धन्नाराम पुत्र सवाराम जाति सुथार निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मांगाराम पुत्र सवाराम जाति सुथार निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

दावा बाबत कब्जा प्राप्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश

उपस्थितः–

1. श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादीगण एकपक्षीय

::निर्णय::

दिनांकः–14.10.2024

यह वाद वादी धन्नाराम द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व रा.का.अ. की धारा 183 व 188 के तहत पेश किया है। वाद पत्र. का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी भूमि मौजा इन्द्राणा तहसील सिवाना में खसरा संख्या 1726/322 रकबा 0.8661 व खसरा संख्या 1729/323 रकबा 0.8661 आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व दीपाराम सगे भाई है, जिन्होने आपसी सहमति से ग्राम इन्द्राणा के मूल खसरा संख्या 322 व 323 का राजस्व रेकर्ड में सहमति से बंटवाडा करवाया जिसका नया बटा नम्बर 1727/322, 1730/323, 1726/322, 1729/323,1725/322 व 1728/323 राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए, खसरा संख्या 1727/322 व 1730/323 कुल रकबा 1.7322 हैक्टयर दीपाराम के नाम खसरा संख्या 1726/322 व 1729/323 कुल रकबा 1.7322 हैक्टयर वादी धन्नाराम के नाम तथा खसरा संख्या 1725/322 व 1728/323 कुल रकबा 1.7241 प्रतिवादी संख्या 1 मांगाराम के नाम कायम किया गया तथा माफिक बंटवाडा नक्शा में तरमीम की जाकर मुटाम लगाकर अलग किया गया । वादी ने अपने हक हिस्सा खातेदारी भूमि में रहवासी मकान बनाया हुआ है व विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है तथा एक टयूबवेल भी खुदवाई हुई है, वादी परिवार सहित उक्त भूमि पर काबिज काश्त करता आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 बलपूर्वक वादी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1729/323 की करबी डेढ बीघा भूमि पर अवैध व अनुचित रूप से अतिक्रमण कर लाठी के बल पर वहां रहवास हेतु तामिर का निर्माण भी करवा दिया है, प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है तथा अब कब्जे को पक्का करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि वादी की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई अधिकार व हक नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये अवैध कब्जा हटाकर कब्जा प्राप्त करने हेतु यह वाद पेश किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री कपिल श्रीमाली उपस्थित हुए जिनके द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादी आपस में भाई है, वादी द्वारा मांगाराम एवं दीपाराम को विश्वास में लेकर संयुक्त भूमि का बंटवाडा करवाने हेतु प्रतिवादी को कहने पर प्रतिवादी द्वारा बडे भाई पर विश्वास कर बंटवाडा हेतु सहमति दी

सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.29 18:47:25 IST
Reason: SelfAttested

अब वादी द्वारा पटवारी हल्का से मिलावट कर मौके की जांच किये बिना ही एक ही रोज में विभाजन की रिपोर्ट प्रशासन गांवों के संग अभियान में पेश करवाई जो रिपोर्ट बिना मौके की जांच के तैयार की गई तथा सभी खातेदारान के अंगुष्ठ निशान लगवाये जाकर पेश कर दी गई प्रतिवादी अनपढ़ ग्रामीण किसान व्यक्ति होने से उसके द्वारा विभाजन प्रस्ताव की रिर्पोट पर अपने भाई वादी धन्नाराम के कहे अनुसार अंगुष्ठ निशान विश्वास में आकर कर दिया था वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 का रहवासीय मकान,आरा मशीन,पानी का कुंआ इत्यादि स्थित होने से जांच रिपोर्ट के अनुरूप विभाजन संभव नहीं था पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके जी जांच के, वादी धन्नाराम से मिलावाट कर तैयार की थी।

वाद पत्र, जवाबदावा प्रस्तुत होने के बाद, निम्न तनकीयात कायम की गई :–

तनकीयात –

1. आया वादग्रस्त भूमि खसरा 1726/322,1729/323 कुल रकबा 1.7322 हैक्टयर सरहद मौजा इन्द्राणा वादी के खातेदारी कब्जा काश की स्थित है ? (जिम्मे वादी)
2. आया वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1729/323 रकबा 1.10 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का अवैध कब्जा होने से वादी प्रतिवादी संख्या 1 को मौके से बेदखल करवाकर मौके पर कब्जा प्राप्ति का विधिक हकदार है ? (जिम्मे वादी)
3. आया माफिक इस्तदुआ वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का विधिक हस्ताक्षर है ? (जिम्मे वादी)
4. आया वादग्रस्त आराजी बाबत वादी एवं प्रतिवादी के मध्य पूर्व में हुआ बंटवाडा एक तरफा होने से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध बेअसर है ?
   (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1)
5. अन्य सहायता

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में स्वंय pw -1 स्वंय धन्नाराम के बयान कलमबद करवाये गये एवं दरम्यान साक्ष्य वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

प्रतिवादी संख्या 1 के वकील द्वारा No Instruction Pleed करने से प्रतिवादी संख्या 1 की विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी।

पत्रावली पर पेश दस्तावेज एवं साक्ष्य सबूत का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया। वादी द्वारा दरम्यान बहस वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पत्रावली पर पेश दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली पर पेश वादी के बयान का अवलोकन किया साथ ही वादी द्वारा पेश दस्तावेज सबूत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बाडमेर के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1,,जमाबंदी खतौनी प्रदर्श–2,नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3,जमाबंदी खतौनी प्रदर्श–4, जमाबंदी खतौनी प्रदर्श 5 का मनन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.29 18:47:25 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा साक्ष्य सबूत में प्रस्तुत प्रदर्शों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा इन्द्राणा की खसरा संख्या 1726/322 व 1729/323 कुल रकबा 1.7322 का वादी रेकर्डेड खातेदार है। जहां तक प्रतिवादी का यह प्रश्न कि वादग्रस्त भूमि का सहमति से विभाजन प्रतिवादी के बिना जानकारी व विश्वास में रख कर सहमति से किये जाना का है, इस सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 15.11.2010 को संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन के विरूद्ध माननीय न्यायालय जिला कलक्टर बाडमेर में अपील संख्या 49/2019 मांगाराम बनाम तहसीलदार वगैराह पेश की गई थी जिसे माननीय न्यायालय

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना

जला कलक्टर बाडमेर द्वारा उक्त अपील को 9 वर्ष में पश्चात बिना किसी ठोस व तार्किक कारणो से प्रस्तुत किये जाने के कारण उक्त अपील दिनांक 02.08.2021 को अपील अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया अर्थात वादग्रस्त भूमि का दिनांक 15.11.2010 को किये गया विभाजन का यथावत रखा गया माननीय न्यायालय जिला कलक्टर बाडमेर द्वारा अपील में दिये गये निर्णय की विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त बंटवाडे के बारे में पूर्ण ज्ञान था । वादी के वादपत्र का प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार से कोई प्रतिवाद भी पेश नही किया गया है।

लिहाजा वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादी के खातेदारी भूमि मौजा इन्द्राणा के खेत खसरा नम्बर 1729/323 रकबा 0.8661 हैक्टयर की भूमि का सीमाज्ञान कर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया कब्जा वादी की खातेदारी में पाया जाने पर इसे नियमानुसार हटाया जाकर वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द करने की कार्यवाही तहसीलदार सिवाना द्वारा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। इस आशय की शाश्वत व्यादेश की आज्ञप्ति प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध जारी की जाती है कि वादी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1726/322 व 1729/323 रकबा 0.8661 व 0.8661 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी स्वयं, उनके पारिवारिक सदस्य, प्रतिनिधि, मजदूर इत्यादि किसी प्रकार का अतिकमण, अतिचार नहीं करें एवं वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा नहीं पहुंचावें। तहसीलदार सिवाना को अधिकृत किया जाता है कि यदि आवश्यक हो तो अपने स्तर पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.29 18:47:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 31 / 2019

वादीः–

धन्नाराम पुत्र सवाराम जाति सुथार निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मांगाराम पुत्र सवाराम जाति सुथार निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

दावा बाबत कब्जा प्राप्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश

निर्णय दिनांक : –14.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता पेश होकर वादी का वाद स्वीकार कर डिगरी दी जाती है कि ग्राम मौजा इन्द्राणा के खेत खसरा नम्बर 1729 / 323 रकबा 0.8661 हैक्टयर की भूमि का सीमाज्ञान कर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया कब्जा वादी की खातेदारी में पाया जाने पर इसे नियमानुसार हटाया जाकर वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द करने की कार्यवाही तहसीलदार सिवाना द्वारा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आशय की शाश्वत व्यादेश की आज्ञप्ति प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध जारी की जाती है कि वादी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1726 / 322 व 1729 / 323 रकबा 0.8661 व 0.8661 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं, उनके पारिवारिक सदस्य, प्रतिनिधि, मजदूर इत्यादि किसी प्रकार का अतिक्रमण, अतिचार नहीं करें एवं वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा नहीं पहुंचावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.10.2024 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.29 18:47:25 IST
Reason: SelfAttested